№ 028570

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 528

वर्ष 2015-16

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि सिद्धि विनायक वेलफेयर सोसायटी ग्रा०- गरीबनगर पो०- कवादपुर थाना-सूर्यगढ़ा जिला- लखीसराय पिन कोड- 811106

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख चौबीस मास अगस्त वर्ष दो हजार पन्द्रह को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के अधीन निबंधन विभाग मात्र संस्था का निबंधन करता है। निबंधन को संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या न होने का प्रमाण या किसी अन्य के प्रयोजन हेतु अनुशंसा नहीं माना जाए।

महानिबंधक, निबन्धन, बिहार, पटना।

बि० स० मु० (निबन्धन), 1—II—10,000—22-11-2011

Principal
Garvi Grant Global School
Bimal Gram Surajghara Lakhisarai

Manager
Garvi Grant Global School
Bimal Gram Surajghara Lakhisarai

24/08/15

" सिद्धि विनायक वेलफेयर सोसाईटी "

का

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :- " सिद्धि विनायक वेलफेयर सोसाईटी "
2. प्रधान कार्यालय :- इस संस्था का प्रधान कार्यालय- ग्राम- गरीब नगर पो0-कवादपुर, थाना- सूर्यगढ़ा, जिला- लखीसराय पिन कोड- 811106 (बिहार) में रहेगा ।
   आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्त्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायेगी ।
3. कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।
4. उद्देश्य :- इस संस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे :-
   1. शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करेगी तथा आवासीय विद्यालय, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थान, दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र, महाविद्यालय, प्रौढ शिक्षा, सर्व शिक्षा, पुस्तकालय, वाचनालय, पठन-पाठन कक्ष, छात्रावास, अनौपचारिक शिक्षा,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालय, मुक एवं बधिर विकलांग विद्यालय का संचालन करना
   2. संस्था द्वारा गरीब असहाय, विकलांग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हर संभव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना तथा उचित मार्गदर्शन हेतु कार्यक्रम संचालन करना ।
   3. दलित महादलित एवं अन्य शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकणकला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, मोबाईल मरम्मति, इलेक्ट्रोनिक्स एवं अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना ।
   4. संस्था द्वारा समाज के दलित महादलित एवं अन्य असहाय महिलाओं, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो, आदिवासियों, अनाथों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना ।
   5. दलित महादलित एवं अन्य महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी, पेन्टिंग, गुडिया, अचार, मुरब्बा, जैली, जैम आदि का निर्माण एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण सौन्दर्य एवं प्रसाधन आदि की जानकारी देना ।
   6. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, महिला शक्तिकरण, बालबाड़ी, आगनबाड़ी स्वयं सहायता समूह, पालनागृह, पौष्टिक आहार केन्द्र का संचालन करना ।
   7. नि:सहाय महिलाओं एवं पुरूषों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनने में मदद करना ।

मिलान किया

Kush Raj

Principal
Garvi Grant Global School
Bimal Gram Surajghara Lakhisarai

Yuvraj
Manager
Garvi Grant Global School
Bimal Gram Surajghara Lakhisarai

8. दलित महादलित एवं अन्य विकलांगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यक्रमों का संचालन करना ।

9. समाज के सभी वर्गो के गरीब लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना । परिवार कल्याण शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर, रक्त दान शिविर, टीकाकरण शिविर, स्वास्थ्य शिविर आदि का संचालन करना ।

10. असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0बी0 कालाजार हेपटाईटिस आदि से बचने हेतु अवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा, नेत्र चिकित्सा, एम्बुलेश सेवा, चलन्त चिकित्सा उपलब्ध कराना तथा । विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों होमियोपैथी, ऐलोपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदिक आदि का प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण करना ।

11. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । सौर उर्जा, प्राकृतिक उर्जा का प्रचार–प्रसार करना ।

12. महिला श्रमिक, बाल श्रमिकों एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना । उनके लिए शिक्षा एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना ।

13. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना । लोगों को स्वच्छ पेयजल, कम लागत के शौचालय, यातायात के नियमों का प्रचार–प्रसार करना ।

14. अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना । उनके लिए कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना ।

15. आकस्मिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड आदि में राहत कार्यक्रमों का संचालन करना । राहत कार्यो में सहयोग करना ।

16. समाज में व्याप्त कुरीतियॉ जैसे बाल–विवाह, अंधविश्वास, दहेज प्रथा, आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना । आदर्श विवाह, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना । भीक्षाटन उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उन्हें समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करना ।

17. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना । पत्र–पत्रिकाओं का वितरण एवं संग्रह करना । नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना । कलाकरों को प्रोत्साहित कराना । संस्था द्वारा वन्य जीव, पशु–पक्षी एवं लावारिश पशु के सरंक्षण हेतु प्रयास करेंगी तथा देश की एकता, अखण्डता, आपसी सद्भावना कार्यक्रमों का संचालन करना ।

18. उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवाधिकार आदि की जानकारी देना एवं जागरूक करना ।

19. संस्था द्वारा युवक युवतियों को कम्प्यूटर से संबंधित विभिन्न स्तर के व्यवसायिक पाठ्क्रमों का संचालन, हार्ड वेयर, साफ्टवेयर, इन्टरनेट आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना ।

20. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के उपयुक्त साधन, वर्मी खाद, मशरूम एवं मखाना की खेती, जलछाजन, जलसंचयन, आदि उपलब्ध कराना । फसल बीमा, पशु बीमा एवं अन्य बीमा की जानकारी एवं प्रचार प्रसार कर लोगों को लाभान्वित करना तथा बंजर भूमि का निवारण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना ।

21. औषधीय, सुगंधी पौधों एवं नगदी पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना ।

मिलान किया

Kush Rai

1	2	3	4	5	6
1	विमला कुमारी पति-अरविन्द महतो Kush Raj	17/79 शहर/गॉव- गरीबनगर पो0- कवादपुर अंचल- सूर्यगढ़ा जिला- लखीसराय	समाज सेवा	अध्यक्ष	
2	श्री कुशराज पिता- अरविन्द कुमार	गरीब नगर शहर/गॉव- पुराना सलेमपुर अंचल- सूर्यगढ़ा जिला- लखीसराय	समाज सेवा	सचिव	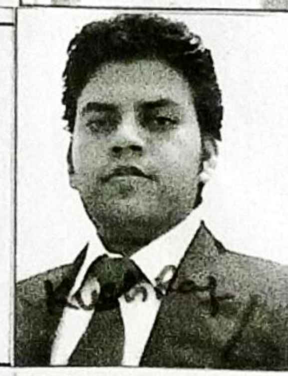
3	श्री शंकर महतो पिता- रामदास महतो	89, खांडपार, इमामनगर शहर/गॉव- खांडपार अंचल- सूर्यगढ़ा जिला- लखीसराय	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष	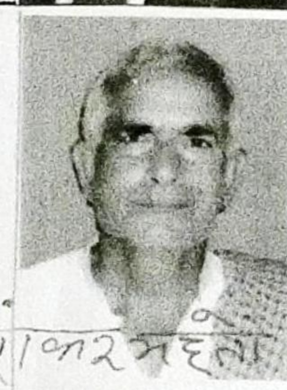
4	श्री परशुराम पासवान पिता-श्री अमृत पासवान	ग्राम- गरीब नगर पो0- कवादपुर थाना- सूर्यगढ़ा जिला- लखीसराय	समाज सेवा	सदस्य	

मिलान किया   Kush Raj

2	3	4	5	6
श्री पवन पासवान पिता--श्री झकसू पासवान	ग्राम- गरीब नगर पो0- कवादपुर थाना- सूर्यगढ़ा जिला- लखीसराय	समाज सेवा	सदस्य	
श्री श्रीवास्तव कुमार पिता-अर्जुन साव	ग्राम- गरीब नगर पो0- कवादपुर थाना- सूर्यगढ़ा जिला- लखीसराय	समाज सेवा	सदस्य	
श्रीमती रंजु देवी पति-श्री शैलेन्द्र साह	ग्राम- गरीब नगर पो0- कवादपुर थाना- सूर्यगढ़ा जिला- लखीसराय	समाज सेवा	सदस्य	

क्र0	नाम, पिता/ पति का नाम	पता	पेशा	फोटो स्वहस्ताक्षरित	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1	विमला कुमारी पति-अरविन्द महतो Kush Raj	17/79 शहर/गॉव- गरीबनगर पो0- कवादपुर अंचल- सूर्यगढ़ा जिला- लखीसराय	समाज सेवा		विमला कुमारी
2	श्री कुशराज पिता- अरविन्द कुमार	गरीब नगर शहर/गॉव- पुराना सलेमपुर अंचल- सूर्यगढ़ा जिला- लखीसराय	समाज सेवा		Kush Raj
3	श्री शंकर महतो पिता- रामदास महतो	89, ख़ांडपार, इमामनगर शहर/गॉव- खांडपार अंचल- सूर्यगढ़ा जिला- लखीसराय	समाज सेवा	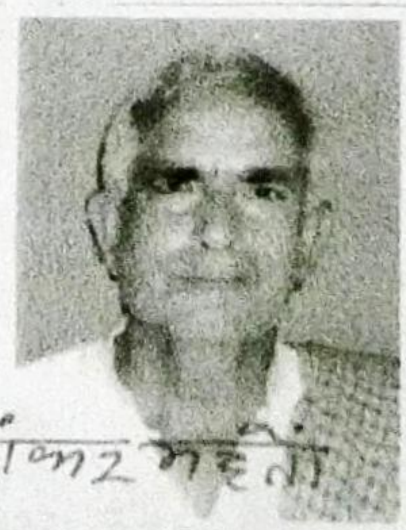	शंकर महतो

1	2	3	4	5	6
5	श्री पवन पासवान पिता-श्री झकसू पासवान	ग्राम- गरीब नगर पो0- कवादपुर थाना- सूर्यगढ़ा जिला- लखीसराय	समाज सेवा	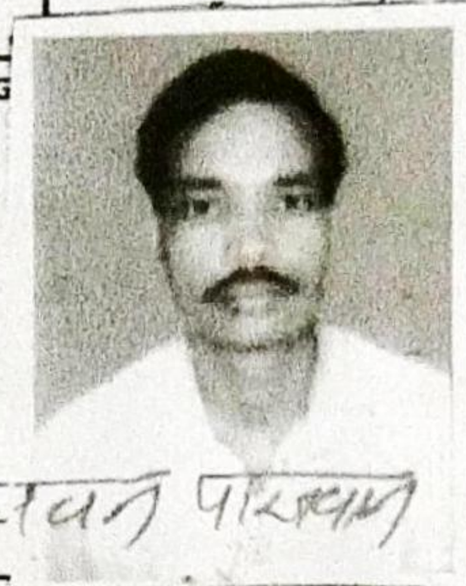	पवन पास
6.	श्री श्रीवास्तव कुमार पिता-अर्जुन साव	ग्राम- गरीब नगर पो0- कवादपुर थाना- सूर्यगढ़ा जिला- लखीसराय	समाज सेवा	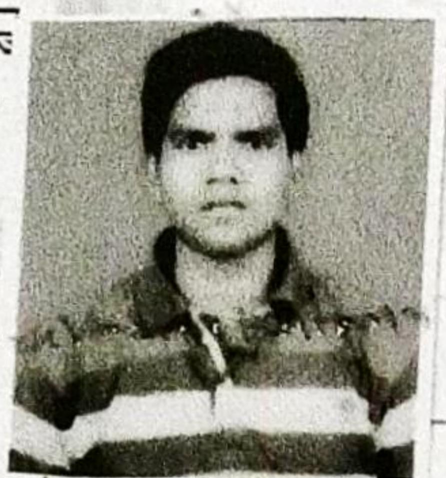	ShriVastav
7	श्रीमती रंजु देवी पति-श्री शैलेन्द्र साह	ग्राम- गरीब नगर पो0- कवादपुर थाना- सूर्यगढ़ा जिला- लखीसराय	समाज सेवा		रंजु दे

" सिद्धि विनायक वेलफेयर सोसाईटी "

की

नियमावली

1. **संस्था का नाम** :- " सिद्धि विनायक वेलफेयर सोसाईटी "

2. **परिभाषा**

क- संस्था से अभिप्राय है :- " सिद्धि विनायक वेलफेयर सोसाईटी "

ख- समिति से अभिप्राय है :- संस्था की कार्यकारिणी समिति ।

ग- पदाधिकारी से अभिप्राय है :- अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।

घ- वर्ष से अभिप्राय है :- 01ली अप्रील से 31 मार्च तक ।

ड- एक्ट से अभिप्राय है :- सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 21, 1860

3- **सदस्यता**

कोई भी महिला एवं पुरूष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो तथा संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करते हो वे इस संस्था के सदस्य बन सकते है । सदस्यता ग्रहण करने हेतु उन्हें विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/- रूपये **प्रवेश शुल्क एवं 101/- रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।**

4. **सदस्यता से विमुक्ति :-**

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी ।

क- स्वयं त्याग पत्र देने पर ।

ख- पागल या मृत्यु होने पर ।

ग- समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।

घ- लगातार तीन वर्ष तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।

ड- बिना सूचना के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।

च- न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।

5. **कार्यकारिणी समिति का गठन :-**

क- कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित 07 (सात) सदस्य होंगे ।

ख- कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा ।

ग- कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्षो का होगा । निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है ।

घ- अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर समिति किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है । लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव करा लेना होगा । चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे ।

मिलान किया

Kush Raj

6. **पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :-**

अध्यक्ष

क- संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख- कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग- किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव

क- संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख- संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

ग- पंजियों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

घ- आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।

ड- संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना ।

च- कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

छ- कार्यकारिणी समिति के राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना ।

ज- आवश्यकतानुसार अपने पास 5000/- रू0 तक रखना और विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य करना ।

झ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष

क- संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।

ख- संस्था के सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चन्दा आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

ग- संस्था के कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

7. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-**

क- संस्था के चल एवं अचल सम्पति के उत्तरदायी होगा ।

ख- संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।

ग- शाखा एवं उपशाखा का गठन करना ।

घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

8. **आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-**

क- समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

ख- संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।

ग- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

घ- अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

मिलान किया

Kush Rai

9. **बैठक :-**

क- कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी ।

ख- आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।

ग- कार्यकारिणी समिति एवं आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

10. **बैठक की सूचना :-**

क- आम सभा के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ख- आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ग- कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी ।

घ- कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ड- बैठक की सूचना, सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जाएगी ।

11. **प्रार्थित बैठक**

दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर सचिव को एक माह के अन्दर बैठक बुलाना होगा । यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते है तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं ।

12. **कोरम (गणपूर्ति)**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्कता नहीं होगी ।

13. **आय का श्रोत :-**

क- सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।

ख- सरकारी, गैर सरकारी, दान, अनुदान एवं सहायता ।

14. **निधि का अंकेक्षण :-**

क- संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जाएगा ।

ख- निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है । जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

15. **कोष का संचालन :-**

संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

मिलान किया
Kush Raj

16. **पंजी का निरीक्षण :-**

संस्था की सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में जमा रहेंगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

17. **नियमावली में संशोधन :-**

नियमावली में संशोधन आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

18. **कानूनी कार्रवाई -**

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी ।

19. **विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :-**

क- संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 के धारा- 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

ख- आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।

ग- विघटन के उपरान्त जो चल एवं अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति से समान उद्देश्य वाली संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

....

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

विमला कुमारी | शंकर महतो | Kush Raj
अध्यक्ष | कोषाध्यक्ष | सचिव

मिलान किया

24/08/15

Principal
Garvi Grant Global School
Bimal Gram Surajghara Lakhisarai

yuv Raj
Manager
Garvi Grant Global School
Bimal Gram Surajghara Lakhisarai